राष्ट्रीय लोक अदालत

13/8/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील प्रार्थी व तहसीलदार पाटन उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 442 कुल किता 8 कुल रकबा 3.11 हैक्टे0 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम सुगना के स्थान पर सुल्तान तथा खाता संख्या 279 कुल किता 1 कुल रकबा 1.35 हैक्टे0 की खातेदारी में प्रार्थी के ताउ का नाम शंकर के स्थान पर किशना व प्रार्थी के पिता का नाम सुगना के स्थान पर मन्ना गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम सुगना व ताउ का सही नाम शंकर है। परन्तु नाम दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता व ताउ का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी संवत 2018–21 व समय समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी खातेदारी पासबुक में प्रार्थी के पिता व ताउ का सही नाम अंकित है जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता व ताउ का नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के पिता व ताउ के सही नाम की पुष्टि जमाबन्दी संवत 2018–21 व समय समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी खातेदारी पासबुक व प्रार्थी के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Raj Yadav
Date: 2024.11.30 13:3
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रा0 पत्र0 60/2019
निर्णय दिनांक 13.08.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
बिहारीपुर	खाता संख्या 442	सुल्तान पुत्र लादु	सुगना पुत्र लादु
बिहारीपुर	खाता संख्या 279	मन्ना पुत्र लादु	सुगना पुत्र लादु
		किशना पुत्र लादु	शंकर पुत्र लादु

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:36:02 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)